

हिमाचल प्रदेश सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

सं०:ईडीएन-सी-बी(6)-8/2003-Vol-I दिनांक:शिमला-2 20th नवम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग के पत्र संख्या शिक्षा-11-ख (4)-37/85 दिनांक 12.07.1989, पत्र संख्या ई0डी0एन0-सी0-बी0 (6)-8/2003 दिनांक 12.06.2006 व 27.08.2009 तथा पत्र संख्या ई0डी0एन0-सी0-बी (6)-8/2003-Vol-I 17.01.2019 व 27.09.2021 के अर्न्तगत जे0बी0टी0 तथा सी0 एण्ड वी0 अध्यापकों हेतु एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हेतु अधिसूचित नीति का नवीनतम स्वरूप प्रकाशित करने हेतु अपनी सहर्ष स्वीकृती प्रदान करते हैं:-

(क) अर्न्तजिला स्थानान्तरण नीति प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत जिला काडर के जे0बी0टी0 व सी0 एण्ड वी0 अध्यापकों पर लागू होगी।

(ख) प्रतिशतता:

जे0बी0टी0 एवं सी0 एण्ड वी संवर्ग की जिलावार काडर संख्या का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एक जिले से दूसरे जिले को अर्न्तर्जिला स्थानान्तरण हेतु विचार किया जाएगा।

(ग) पात्रता:

1. जे0बी0टी0 व सी0एण्ड वी0 संवर्ग के अध्यापकों ने अर्न्तर्जिला स्थानान्तरण नीति के अर्न्तगत स्थानान्तरण हेतु 5 वर्ष का कार्यकाल (अनुबन्ध सेवाकाल को जोड़ कर) पूरा कर लिया हो।
2. महिला अध्यापक के सन्दर्भ में शादी होने के कारण जिला बदलने पर कोई न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित नहीं होगा।
3. जे0बी0टी0 व सी0एण्ड वी0 संवर्ग के 60 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले अध्यापकों को एक जिले से दूसरे जिले में अर्न्तर्जिला स्थानान्तरण

Sd/- Meena
22/11/21
Super. E-TV / E-II

(ण)

ऐडहोक/टैन्चोर/अनुबन्ध/ग्रामीण विद्या उपासक/
विद्या उपासक /एनटीटी/पैरा अध्यापकों
(Adhoc/tenure/contract/Gramin Vidya Upasak/Vidya
Upasak/NTT/Para Teacher) से जे०बी०टी० एवं सी०
एण्ड वी० संवर्ग में नियमितकरण से पूर्व के
कार्यकाल को भी स्थानान्तरण हेतु निर्धारित 5 वर्षों
की गणना की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

आदेश द्वारा,

(राजीव शर्मा)
सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
20th नवम्बर 2021

पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि। तारीख शिमला-2,
प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रशासनिक अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक उच्च शिक्षा, हि० प्र०, शिमला-1।
3. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, हि० प्र०, शिमला-1।
4. संयुक्त सचिव(शिक्षा-ए) शाखा, हि० प्र० सचिवालय, शिमला-2।
5. अवर सचिव(शिक्षा-बी) शाखा, हि० प्र० सचिवालय, शिमला-2।
6. राज्य परियोजना निदेशक(समग्र शिक्षा अभियान), हि० प्र०, शिमला-1।
7. समस्त जिला उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को आगामी कार्यवाही हेतु।
8. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001

अवर सचिव(प्रा० शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: शिक्षा-एच०(प्रार०)4(1)1- /2021 दिनांक: शिमला-1 नवम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. पंजीयक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हि० प्र० शिमला-1
2. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हि० प्र० शिमला-1
3. समस्त शाखा अधिकारी/अधीक्षक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, हिमा० प्र० शिमला-1
4. समस्त उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश को अक्षरशः अनुपालना हेतु।
5. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)

24 NOV 2021

शिमला-1

संयुक्त निदेशक (प्रशा०)